कार्यालय राज्य स्तरीय शुल्क निर्धारणि समिति
राजकीय महिला पॉलिटेक्निक महाविद्यालय परिसर, गॉधीनगर, जयपुर।

क्रमांकः टीई/एफसी/2023–24/ 215 दिनांकः 3/8/2023

::– आदेश–::

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा इस्लामिक एकेडमी ऐजुकेशन बनाम् कर्नाटक राज्य में पारित निर्णय दिनांक 14.08.2003 की अनुपालना में राज्य सरकार द्वारा गठित राज्य स्तरीय शुल्क निर्धारण समिति द्वारा सत्र 2023–24 में क्रियाशील (**Functional**) गैर अनुदानित निजी तकनीकी शिक्षाण संस्थान की सत्र 2023–24 की अंतरिम शुल्क संरचना का निर्धारण किया जाना है।

अतः माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय को ध्यान में रखते हुए विचार विमर्श के उपरान्त कमेटी ने निर्णय लिया है कि पूर्व में विद्यमान गैर अनुदानित निजी तकनीकी शिक्षण संस्थान जो सत्र 2023–24 में क्रियाशील हैं, उनकी सत्र 2023–24 के लिऐ कोर्स वाईज अंतरिम शिक्षण शुल्क वही रहेगी जो शुल्क संरचना उनके लिए सत्र 2022–23 के लिऐ निर्धारीत की गई थी। परन्तु प्रथम वर्ष में प्रवेश लेने वाले छात्रों से **Caution money Rs.5000/-** ली जावेगी।

गैर अनुदानित निजी शिक्षण संस्थान् जो सत्र 2023–24 में क्रियाशील हैं तथा जिन्हेंने शुल्क संरचना हेतु अपना रिकार्ड प्रस्तुत नहीं किया है, ऐसे डिफाल्टर संस्थान की फीस वही रहेगी जो डिफाल्टर संस्थान् के लिए सत्र 2022–23 के लिऐ निर्धारित की गई थी। परन्तु प्रथम वर्ष में प्रवेश लेने वाले छात्रों से **Caution money Rs.5000/-** ली जावेगी।

सत्र 2023–24 में प्रारम्भ होने वाले गैर अनुदानित निजी तकनीकी शिक्षा संस्थान् अपने कॉलेज की परिस्थिति पर विचार करते हुए सत्र 2023–24 के लिए कोर्स वाईज अंतरिम फीस का निर्धारण स्वयं करेगें परन्तु उपरोक्त अंतरिम फीस निम्न राशि से अधिक नहीं होनी चाहिएः–

Sr. No.	Name of Course	Maximum ceiling of Tuition Fees per annum	Maximum ceiling of Development Fees per annum	Caution money refundable
1.	ME/M.Tech./B.E./B.Tech/B.Desing/BMHCT	67000/-	15% of tuition fees	5000/-
2.	Dual Degree Programme in Management- 5 years	67000/-	15% of tuition fees	5000/-
3.	Integrated course (B.Tech.+ MBA)-5½ years	67000/-	15% of tuition fees	5000/-
4.	MBA/MCA	52,700/-	15% of tuition fees	5000/-
5.	Diploma Engineering/ Diploma Non-Engineering	*27,000/-	15% of tuition fees	5000/-

Note :-* The above mentioned celling of Interim will be appllcable to all Institute/Colleges running Diploma Engineering/Diploma Non-Engineering courses also during 2023-24.

विभिन्न तकनीकी पाठ्यक्रमों में सत्र 2023–24 के दौरान उपरोक्त प्रकार के गैर अनुदानित शिक्षण संस्थानों में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों के लिए अन्तरिम शुल्क संरचना इस शर्त के साथ लागू की जाती है कि समिति द्वारा

P.L. [signature] 3/8

[signature]

CamScanner

इन पाठ्क्रमों के लिए अंतिम रूप से निर्धारित की जाने वाली शुल्क संरचना यदि अधिक होती है तो संबंधित छात्र/छात्राओं द्वारा शेष राशि प्रवेश पाने वाले संस्थान् में जमा करवा दी जावेगी तथा शुल्क राशि में कमी होने की दशा में संबंधित संस्थान् द्वारा शेष आधिक्य राशि छात्र/छात्राओं को वापस लौटायी जाएगी।

राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा/बीकानेर तकनीकी विद्यालय, बीकानेर द्वारा निर्धारित विश्वविद्यालय विकास शुल्क विद्यार्थियों से संस्थानों द्वारा अलग से वसूल किया जायेगा जो कि संस्थानों द्वारा प्रवेश सूची के अनुमोदन के साथ ही जमा कराना अनिवार्य होगा।

कॉशन मनी केवल प्रथम वर्ष में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों से ही प्राप्त की जाएगी तथा पाठ्यक्रम समाप्ती के पश्चात् नियमानुसार संस्थानों द्वारा विद्यार्थियों को लौट दी जावेगी।

उक्त अन्तरिम शुल्क संरचना वार्षिक है, तथा संस्थानों द्वारा निम्नानुसार उल्लेखित शर्तो के अनुसार ली जावेगी।

:-Conditions-:

The above interim fee shall be charged subject to the following conditions:-

1. **The above fee structure shall be applicable for the first year students admitted in academic session 2023-24.**
2. **The fee shall be collected semester wise and not for the entire year.**
3. **The institution are directed not to charge fee in excess of the above mentioned fee and any such violation of the directions shall be viewed seriously.**
4. **Other charges like Transportation/Hostel &Mess Charges shall be chargeable on actual basis i.e. without any profit & loss, the charges/ caution money etc. shall have to be published on institutional website and be informed to the committee.**

5 Every penny collected from the students, whatsoever in any form, shall be accounted for, the head-wise accounts shall separately be maintained and include in college/ institution accounts. No diversion of funds from the institution shall be made to society/trust or even to any other institution under the same Trust/Society.

6. **The society/trust expenditure shall not be claimed in the institution. The accounts of institution shall be separate from the accounts of society/trust.**
7. **Faculty shall be recruited as per AICTE norms and salary and DA is to be paid accordingly.**

8 The development & Depreciation amount is to be deposited in a separate account " Depreciation Reserve Fund".

9 If at the same time of inspection / Scrutiny of accounts, it is found that the above conditions are not followed or false accounts have been prepared, suitable actions will be taken.

(भवानी सिंह देथा)
सदस्य सचिव
राज्य स्तरीय शुल्क निर्धारण समिति, जयपुर।

CamScanner

क्रमांकः टीई/एफसी/2023–24/216–219 दिनांकः 3/8/2023

प्रतिलिपिः– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव, राज्य स्तरीय शुल्क निर्धारण समिति, राजकीय महिला पॉलिटेक्निकी महाविद्यालय परिसर, गॉधीनगर, जयपुर।
2. रजिस्ट्रार, राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा को विश्वविद्यालय की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
3. रजिस्ट्रार, बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय, बीकानेर को विश्वविद्यालय की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
4. निदेशक, तकनीकी शिक्षा निदेशालय, राजस्थान, जोधपुर।
5. रक्षित पत्रावली।

(भवानी सिंह देथा),
सदस्य सचिव
राज्य स्तरीय शुल्क निर्धारण समिति, जयपुर।

CamScanner